




75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संख्या: ए.ए.आई./विज/आरटीआई/487/2025/580

दिनांक 19/06/2025



विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध।


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया आपके द्वारा जमा की गई ऑनलाइन आरटीआई आवेदन AAOIN/R/E/25/00837 दिनांक 25.05.2025 का संदर्भ लें। उपरोक्त आरटीआई आवेदन के माध्यम से मांगी गई जानकारी एवं उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम संख्या.	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध जानकारी
1	<p>Please refer your office letter No.AAI/Vig/C-335/1545 dated 13/14.09.2018 and my complaint-confirmation letter dated 20/09/2018.</p> <p>Please provide action taken report and outcomes of my complaint dated 22/08/2018 by Vigilance Directorate, AAI, New Delhi under RTI Act 2005.</p> 	<p>शिकायत पर कार्रवाई की गई और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार तार्किक रूप से निष्कर्ष निकाला गया।</p> <p>CIC के निर्णय संख्या सीआईसी/एसबी/ए/2015/000649 दिनांक 08/02/2017 के अनुसार, "सतर्कता फाइलों में फाइल नोटिंग का खुलासा करने के लिए अधिकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा गोपनीय रूप से रखी गई जानकारी हैं और इस प्रकार आरटीआई अधिनियम-2005 की धारा 2(एन) के साथ धारा 11(1) के दायरे में</p>

		आती है।" इसलिए, मांगी गई जानकारी इस आधार पर नहीं दी जा सकती चूंकि इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जी) के अनुसार प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
--	--	--

2. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के तिथि से 30 दिन के भीतर श्री राजगुरु जैन, महाप्रबंधक(सतर्कता), प्रथम अपीलीय प्राधिकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110 003 को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,  
  
19/06/2025  
(सचिन कुमार मित्तल)

उप. मुख्य सतर्कता अधिकारी (अन्वेषण)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

जारी किया  
19/06/2025

o/c